राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेशः

1. ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।

2. फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो पहचान पत्र हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे - मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।

3. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर केवल निम्न सामग्री लानी है:-

i. ई-एडमिट कार्ड।

ii. 2.5 cm x 2.5 cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाकर लायेंगे)।

iii. परीक्षा का स्वरुप वर्णात्मक होने के कारण नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के साथ ही सामान्य जेल पेन / स्याही पेन एवं आवश्यकतानुसार पेंसिल, रबर एवं स्केल (पैमाना) ।

iv. फोटो युक्त पहचान पत्र।

4. परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से एक घन्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

5. प्रश्नोत्तर पुस्तिका में अधूरे/गलत रोल नम्बर भरने वाले, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नम्बर भरे जाने पर गलत रोल नम्बर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा।

6. विभागीय वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें।

7. पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट/कुर्ता, पेंट/पायजामा एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर कर आएंगे, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आवेंगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा।

8. परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच (Frisking) की जाएगी अतः आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आयेंगी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शौल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।

9. परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।

11. किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।

12. परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर द्वारा प्रश्नोत्तर पुस्तिका एकत्रित करने के पश्चात् ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोडने की अनुमति होगी।

13. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए निर्देशों का भलीभाति अध्ययन कर लें।

14. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

15. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुतलेखक (scribe) लाने हेतु अनुमत किया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र (Under-taking) प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक (Scribe) नहीं लाते हैं, वे परीक्षा की नियत तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत अनुदेशों का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करें।

16. प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित प्रविष्टियों के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है।

17. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

18. आयोग के निर्देशों का उल्लघंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।